

पत्रांक स्थापना-4/राज/2005 1496 140/  
विहार राज्य  
वित्त & राष्ट्रीय वित्त विभाग।

प्रेषक,

श्री भूषनेश्वर ओझा,  
संयुक्त निदेशक-सह-उप-सचिव।

सेवा में,

सभी प्रभारी राष्ट्रीय वित्त कार्यालय वटाधिकारी।

सभी सहायक वित्त वटाधिकारी।

वटना, दिनांक 13 दिसम्बर, 2005

विषय:- विहार वित्त & राष्ट्रीय वित्त विभाग वटाधिकारियों की संघर्ष नियमावली, 2005

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वटना है कि वित्त & राष्ट्रीय वित्त विभाग के वटाधिकारियों के लिए संघर्ष नियमावली का वटन किया गया है, जिसके प्रावधानों के अनुसार विभागीय वटाधिकारियों को केन्द्रीय परीक्षा समिति राजस्व डेपार्ट द्वारा संयुक्त विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना तथा चार सप्ताह का लगातार कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसके आलोक में विभागीय ज्ञापक 1496 वटनांक 10/12/2005 द्वारा आपको अवगत कराया गया है।

अतः उक्त तथ्यों के संदर्भ में निवेदनानुसार वटना है कि जब तक आप-लोग विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होते हैं एवं चार सप्ताह का कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक वेतन वृद्धि आप लोगों को देय नहीं होगी।

कृपया इस अनुदेन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

सहायक सचिव,  
भूषनेश्वर ओझा  
संयुक्त निदेशक-सह-उप-सचिव।  
दिसम्बर, 2005

ज्ञापक 1496 /राज/20, वटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- सभी उप-निदेशक/राष्ट्रीय वित्त/सभी कोषागार वटाधिकारी को सूत्रार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक सचिव